न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

नाम पीठासीन अधिकारी : श्री दीपेन्द्रसिंह राठौर आर0ए0एस0उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या 91/2012राजस्व वाद

दायर दिनांक–27/11/2012

निर्णय दिनांक – 20.4.16

1– श्री धनेश्वर पिता लवजी पाटीदार निवासी लिमड़ी तहसील सागवाडा

(वादी)

बनाम

1– श्रीमती शांति बेवा कचरू पाटीदार निवासी लिमडी
2– श्री मोहन पिता कचरू पाटीदार निवासी लिमडी
3– श्रीमती कांता पिता कचरू पाटीदार निवासी लिमडी
4– श्री प्रेमजी पिता लवजी पाटीदार निवासी लिमडी
5– श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील सागवाडा

(प्रतिवादीगण)

वकील वादी – श्री महेन्द्रकुमार जैन
वकील प्रतिवादी सं0 4 – श्री शेलेन्द्र जैन

दावा बाबत बंटवारा एंव घोषणा आर0टी0ए0 धारा 53–54 एंव 88 ,188

निर्णय

वाद वादी का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि मोजा लिमडी के खाता संख्या 201 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण के संयुक्त खाते दर्ज है। खाता संख्या 201 मरहूम लवजी के वारीस वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 के पति एवं प्रतिवादी संख्या 2,3 के पिता कचरू तथा प्रतिवादी संख्या 4 बहने धूली,गंगा,मीरं, उत्तराधिकारी कायम हुए। श्री कचरू की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 से 3 उपरोक्त खाते में 1/6 भाग के खातेदार कायम मुकाम हुए ।यह कि विवादित खाते की भूमि में 1/6, 1/6 एंव 1/6 भाग बहन धूली ,गंगा,मीरं ने वादी एंव प्रतिवादी संख्या 4 के हक में त्याग करने से नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 5.1.2004 के उक्त खाते में 5/6 भाग के खातेदार दर्ज रेकार्ड हुए हैं। यह कि खाता संख्या 201 मुताबिक जमाबन्दी संवत 2056–59 के मुताबिक बंटवारा करने का कहने पर लडाई झगडा करने आमादा हो गये तथा इसी खाते के खसरा नम्बर 690,2834 रकबा कमशः 17 बिस्वा एवं 12 बिस्वा सेटलमेण्ट में वादी एंव प्रतिवादी के पिता ,प्रतिवादी संख्या 1 के ससूर ,प्रतिवादी संख्या 2,3 के दादा लवजी के खाते दर्ज थी के बंटवारा के लिए लडाई झगडा कर

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner

रहे हैं ।यह कि खसरा नम्बर 690,2834 रकबा क्रमशः 17 बिस्वा एवं 12 बिस्वा मरहूम लवजी के सेवा चाकरी एंव भरण पोषण के लिए प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के पति ,पिता कचरू के पास रखा था वर्तमान में भी लवजी एव कचरू की मृत्यु हो चुकी है । स्व0कचरू ने अपने जीवनकाल में वादी एंव वादी के पिता को धोखे में रखकर रजिस्टी करा अपने खाते दर्ज करवा ली बाद में कचरू की मृत्यु हो जाने से प्रतिवादीगण 1 से 3 प्रथक खातेदार हो चुके हैं। यह कि खाता संख्या 201 रकबा 9 बिघा 3 बिस्वा में वादी के हक में रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा का बंटवारा व रेर्काड अनुसार किया जावे । खसरा नम्बर 690,2438 रकबा क्रमशः 17 बिस्वा एवं 12 बिस्वाजो पक्षकारों के पिता ससूर ,दादा लवजी के खाते दर्ज थी वर्तमान मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के खाते दर्ज है । खारीज करा पक्षकारों के बराबर बराबर यानि कि 1/3 के खातेदार घोषित कर बंटवारा किया जावे । वाद के अन्त में वादी की ओर से ग्राम लिमडी के खाता संख्या 201 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा वादी एंव प्रतिवादीगण के बिच वर्तमान जमाबन्दी 2056–59 के अनुसार तथा खसरा नम्बर 690 रकबा 17 बिस्वा ,खसरा नम्बर 2438 रकबा 12 बिस्वा का 1/3 हिस्सा बराबर बराबर बंटवारा किया जाने एवं बंटवारा पश्चात प्रतिवादी या अन्य द्धारा काश्त नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण 1 से 4 के विरूद्ध जारी किये जाने का निवेदन किया गया है ।

वादी की ओर से वाद की पुष्टि मे शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए नकल जमाबन्दी सं0 2056–59 खाता संख्या 201 ,नामान्तरकरण संख्या 571 दिनांक 3/1/2004 की नकल एंव खाता संख्या 43 सेटलमेण्ट की नकल पेश की गई है ।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन जारी किए गए । प्रतिवादीसंख्या 4 दिनांक 17/2/2015 को अनुपस्थित होने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से दिनांक 25/3/2008 एवं प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से दिनांक 29.7.2008 को जवाब प्रस्तुत किया गया ।

प्रतिवादीसंख्या 1 से 3 ने अपने जवाब में खाता संख्या 201 के साबिक खसरा नम्बरों पर प्रतिवादीगण धूली,गंगा,मीरं का कब्जा होना , बपोती जमीन वादी ने 20–25 वर्ष पूर्व बंटवारा कर अलग से ले लेने के कारण इस जमीन पर वादी का कोई हक व कब्जा नही होना ,प्रतिवादी नं0 1 से 3 का 1/6 भाग पर ही कब्जा होना ,धूली गंगा व मीरं ने विवादित खसरा नंबर 1435 के सम्बन्ध में हक त्याग नहीं किया है व अन्य खसरा नं0 का हकत्याग वादी ने प्रतिवादी नं0 4 से मिलकर उक्त जमीन हडपने की नियत से बहला फुसलाकर रजिस्टी कराना ,वादी का विवादित जमीन पर कोई हक व हिस्सा नही होने से वादी किसी प्रकार का बंटवारा कराने का अधिकारी नहीं होना ,वादी व प्रतिवादीगण के मध्य जमीन के सम्बन्ध में 20–25 वर्ष पूर्व बंटवारा हो जाना तथा वादी ने अपने हिस्से में आये खेत पर अलग से कब्जा प्राप्त कर लेना व बाद में निजी आवश्यकता होने से अपने हिस्से आये खसरा नम्बरों

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

में से खसरा नम्बर 690 व 2438 को रूपया 7000.00 में प्रतिवादी नं0 1 से 3 के पिता व पति श्री कचरू को दिनांक 8.7.1992 को बेचान कर विधिवत पंजियन करा देने से नामान्तरकरण हो जाना बताते हुए उक्त जमीन का बंटवारा कराने का कोई अधिकार नहीं होना बताया है । प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने अपने उक्त जवाब के विशेष कथन में खसरा नम्बर 2438 की जमीन को कृषि से अकृषि में दिनांक 21.4.2006 को परिवर्तन की है तथा वाद के समय उक्त जमीन किस्म आबादी होने से वाद सुनवाई का अधिकार न्यायालय को नहीं होना एवं वादी द्वारा श्रीमती गंगा ,धूली व मीरं बपोती सम्पत्ति के वारिसान होने से वादी ने पक्षकार नहीं बनाये है जिस कारण वाद वादी चलने योग्य नहीं होना बताया है ।प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने जवाब में भूमिधारी होने से आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया जाने का उल्लेख करते हुए न्यायालय निर्णय की पालना की जाने का उल्लेख करते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया है।

वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के जवाब के आधार पर निम्नांकित वाद बिन्दु कायम किए गए –

तनकी संख्या 1:– आया वाद वर्णित मौजा लिमडी के खाता संख्या 201 रकबा 9बिघा 3 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त होकर तथा आराजी नंबर 690 रकबा 17बिस्वा 2438 रकबा 12 बिस्वा का वादी 1/3 अपना हिस्सा बंटवारा करा खाता अलग कराने का हकदार है?(वादी)

तनकी संख्या 2:– आया वांद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द का हकदार है ? (वादी)

तनकी संख्या 3:– आया वादी व प्रतिवादीगणों में पैत्रक भूमि का बंटवारा होकर वादी के खाते कोई पैत्रक भूमि दर्ज हुई, जिसमें से आराजी नम्बर 690 व 2438 जरिये दस्तावेज प्रतिवादी सं0 1 से 3 के पिता व पति को विक्रय कर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हुई ? (प्रतिवादीगण)

तनकी संख्या 4 :– आया वादी ने बहिनो से मिलकर बहला फुसलाकर कोई हकत्याग अपने नाम कराया है , (प्रतिवादीगण)

तनकी संख्या 5 :– दादरसी ?

उपरोक्तानुसार कायमी तनकीयात के वादी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाने पर वादी द्वारा साक्ष्य में वादी स्वंय धनेश्वर एवं गवाह गंगा पुत्री लवजी व मीरं पुत्री लवजी के बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये ।दिनांक 2/7/2012 को दस्तावेज प्रदर्श करा साक्ष्य वादी समाप्त की गई ।

वकील प्रतिवादी ने साक्ष्य में गवाह श्री मोहन पिता कचरू पाटीदार के बयान करा साक्ष्य समाप्त की जाने पर अभिभाषकगण की बहस समायत की गई ।

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

विद्वान अभिभाषक वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए हमारा ध्यान दस्तावेज प्रदर्श–पी–1 जमाबन्दी खाता संख्या 201 की ओर आकर्षित कर बताया कि वादी एंव प्रतिवादीगण 1 से 4 की संयुक्त खातेदारी की है । वादी सहखातेदार दर्ज रेकार्ड होने से बंटवारा कराने का अधिकारी है । उक्त आराजीयात पूर्व में लवजी पिता कुरा पटैल के खाते दर्ज थी । लवजी के फौत होने के बाद उक्त आराजीयात विरासती नामान्तरकरण संख्या 476 के आधार पर मोहन ,कान्ता पिता कचरू ,शांति बेवा कचरू 1/6 प्रेमजी धनेश्वर धूली गंगा मीरं पिता लवजी 5/6 काबीज हुए । धूली ,गंगा, मीरं के द्वारा अपने हिस्से की भूमि प्रेमजी एंव धनेश्वर को हकत्याग कर देने से जरिये नामान्तरकरण संख्या 571 से प्रतिवादी संख्या 4 प्रेमजी एव वादी धनेश्वर का हिस्सा 5/6 कायम रहा । वकील वादी ने अपनी बहस में यह भी बताया है कि इसी खाते के खसरा नम्बर 690 एंव 2438 के बंटवारे के लिए प्रतिवादी लडाई झगडा करते हैं जबकि स्व0कचरू ने अपने जीवनकाल में वादी एंव वादी के पिता को धोखे मे रखकर रजिस्ट्री करा अपने खाते दर्ज करा ली एव बाद में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 प्रथक खातेदार हो चुके हैं। वकील वादी ने खाता संख्या 201 का बंटवारा कर वादी के हक में रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा का बंटवारा व रेर्काड अनुसार करने तथा खसरा नम्बरा 690,2438 वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मके खाते दर्ज है खारीज करा पक्षकारों के बराबर बराबन यानि 1/3 के खातेदार घोषित कर बंटवारा करने का निवेदन किया गया है ।

विद्वान अभिभाषक प्रतिवादी ने खाता संख्या 201 के संयुक्त खातेदार होने के तथ्य को अस्वीकार करते हुए खाता नंबर 201 के साबिक आराजीयात पर प्रतिवादीगण व धूली गंगा मीरं का ही कब्जा होना ,प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/6 भाग पर ही कब्जा होना अस्वीकार किया है ।वकील प्रतिवादी ने धूली गंगा मीरं को हकत्याग की कोई जानकारी नही होना बताते हुए बहलाफुसला कर रजिस्ट्री कराना तथा खसरा संख्या 690,2438 का विधिवत बेचान हो जाने से वादी को बंटवारा का कोई हक नही होना बताया है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान वकील वादी एंव प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया । तनकीवाईज निर्णय निम्नानुसार है :–

तनकी संख्या 1:– आया वाद वर्णित मौजा लिमडी के खाता संख्या 201 रकबा 9बिघा 3 बिस्वा भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त होकर तथा आराजी नंबर 690 रकबा 17बिस्वा 2438 रकबा 12 बिस्वा का वादी 1/3 अपना हिस्सा बंटवारा करा खाता अलग कराने का हकदार है?(वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । मौजा लिमडी का खाता संख्या 201 की जमाबन्दी प्रदर्श पी–1 में वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार दर्ज रेकार्ड है अतः संयुक्त खातेदारी की भूमि का बंटवारा कराने सहखातेदार अधिकारी है। लेकिन इस खाते में

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

आराजी संख्या 690 एंव 2438 दर्ज नही है । वकील प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं बहस में उक्त आराजीयात का बेचान हो जाने से प्रथक खाता कायम हो चुका है तथा खसरा संख्या 2438 की किस्म परिवर्तन होकर आबादी दर्ज है । प्रस्तुत साक्ष्य एवं दस्तावेज के अनुसार खाता संख्या 201 रकबा 9 बिघा 3 बिस्वा में वादी व प्रतिवादी संख्या 4का हिस्सा 5/6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का 1/6 हिस्सा घोषित किया जाकर तदनुसार बंटवारा किया जावे । खसरा संख्या 690 एवं 2438 का विधिवत बेचान हो जाने से खसरा संख्या 690 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की एंव 2438 आबादी ही रहेगी । अतः यह तनकी आंशिक रूप से वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 2:– आया वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द का हकदार है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी को है । वादी वाद वर्णित भूमि खाता संख्या 201 रकबा 9 बीघा 3 बिस्वा भूमि का सहखातेदार दर्ज है ।अतः अपने हिस्से का बंटवारा करा प्रतिवादीगणों को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है । अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3:– आया वादी व प्रतिवादीगणों में पैत्रक भूमि का बंटवारा होकर वादी के खाते कोई पैत्रक भूमि दर्ज हुई, जिसमें से आराजी नम्बर 690 व 2438 जरिये दस्तावेज प्रतिवादी सं0 1 से 3 के पिता व पति को विक्रय कर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हुई ? (प्रतिवादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी को है। वादी ने वाद की कलम संख्या 6 में आराजी नम्बर 690,2438 लवजी की सेवा चाकरी एंव भरण पोषण के लिए कचरू के पास रखना तथा स्व0कचरू ने अपने जीवनकाल में वादी एंव वादी के पिता को धोखे में रखकर रजिस्ट्री करा अपने खाते दर्ज करा लेना एवं कचरू फौत हो जाने से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 के खाते दर्ज होना बताया है । प्रतिवादीगण की ओर से अपने जवाब में उक्त आराजीयात बंटवारे में वादी के हिस्से में आकर खातेदारी दर्ज होने के बाद इसका वादी द्वारा विधिवत बेचान जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के करना बताया है । प्रतिवादीगण के इस तथ्य की पुष्टि दस्तावेज प्रदर्श डी–2 जो कि दस्तावेज बेचाननामा है जिसके अनुसार वादी ने प्रतिवादी को उक्त खसरा नम्बरान का विधिवत बेचान किया है।वादी स्वयं ने अपने बयान की जिरह में रजिस्ट्री जबरदस्ती कराना , रजिस्ट्री प्रभावी होकर खारीज कराने की कोई कार्यवाही नही करना बताया है । गवाह गंगा के बयान से भी इस बात की पुष्टि होती है जिसमें जाहिर किया गया है कि धनेश्वर ने दो खेत कचरू को 7000 रू0में बेचे हैं तथा इस जमीन में कचरू का मकान बना दिया है । इससे साबित होता है कि आराजी नम्बर 690,2438 का जरिये दस्तावेज प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व पति को विधिवत

उपखण्ड अधिकारी
सागवाड़ा

Scanned by CamScanner

विक्रय होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज हुई है । अतः यह तनकी बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 4 :– आया वादी ने बहिनो से मिलकर बहला फुसलाकर कोई हकत्याग अपने नाम कराया है ? (प्रतिवादीगण)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को है । पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज हक परित्याग के अनुसार धुली,गंगा,मीरं पिता लवजी के द्वारा वादी ,प्रतिवादी नं0 4 के पक्ष में दिनांक 13/9/2002 को हक त्याग होकर जरिये नामान्तरकरण प्रदर्श पी–3 से अमल दरामद किया गया है। गवाह गंगा एवं धूली ने भी अपने बयान में हक त्याग किया जाना स्वीकार किया है । हक त्याग का दस्तावेज विधिवत पंजियन शुल्क स्टाम्प एवं उप पंजियक के समक्ष हुआ है जिससे वादी ने बहिनो से मिलकर बहला फुसलाकर यह हकत्याग दस्तावेज करा लेना प्रमाणित नही होने से यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है ।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन से तनकी संख्या 1आंशिक,2 व 4 पूर्ण रूप से वादी के पक्ष में निर्णित होने से वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाकर खाता संख्या 201 मौजा लिमडी जमाबन्दी संवत 2056–59 के खेत नंग 16 रकबा 9 बीघा 03 बिस्वा का वादी एंव प्रतिवादी संख्या 4 हिस्सा 5/6 एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 का हिस्सा 1/6 का बंटवारा कर बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शे के तीन प्रति में प्रस्तुत करने प्रारम्भिक डिक्री जारी किए जाने का आदेश दिया जाता है । आराजी नम्बर 690एवं 2438 का विविधवत बेचान होने से आराजी नम्बर 690 प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ही रहेगी व आराजी नम्बर 2438 आबादी रहेंगी ।

प्रारम्भिक डिक्री जारी हो । खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें ।निर्णय आज दिनांक 20/5/16 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

(दीपेन्द्रसिंह राठौड)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

Scanned by CamScanner